

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग।

आ.सं.प्र.-8/ज.सं.(नि.)ल.सिं.-43/06:-

/राँची, दिनांक:-

आदेश

श्री दयानंदन सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता संप्रति सेवानिवृत्त, लघु सिंचाई प्रमंडल साहेबगंज के विरुद्ध अनियमितता, कदाचार एवं अनुशासनहीनता आदि आरोपों के लिए विभागीय ज्ञापांक-1478 दिनांक-17.05.2010 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

जाँच पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन श्री सिंह को सेवानिवृत्त हुए 4 वर्षों की अवधि एवं उनके द्वारा समर्पित विभिन्न प्रतिवेदनों के समीक्षोपरांत सरकार ने उनके (श्री सिंह) इस आचरण के लिए अप्रसन्नता संसूचित करते हुए मामले को समाप्त करने का निर्णय लिया है।

अतएव एतत् द्वारा सरकार का उक्त निर्णय संसूचित किया जाता है।

ह0/-

(डॉ.लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-

1485

/राँची, दिनांक:-

19-2-14

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, हिन्, राँची / संयुक्त सचिव(प्र0) / मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका / प्रभारी प्रशाखा-01 एवं 08 / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची / श्री दयानंदन सिंह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ.लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव।

18-2-14